Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 154/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–लक्ष्मण पुत्र स्व0 तनसुख 2–मनोज उर्फ मनोहर पुत्र स्व0 तनसुख 3–प्रकाश पुत्र स्व0 तनसुख तीनो जाति मेघवाल निवासी झालामण्ड चौराहा के पास, जोधपुर 4–पदमा पुत्री स्व0 तनसुख धर्मपत्नी पवन जी मेघवाल निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, मकराना नागौर 5–राजेश पुत्र स्व0 पृथ्वीराज 6–नरेन्दु पुत्र स्व0 पृथ्वीराज 7–हेमा पुत्री स्व0 पृथ्वीराज 8–वेशाली पुत्री स्व0 पृथ्वीराज 9–प्रमिला बेवा स्व0 पृथ्वीराज सभी जाति मेगवाल निवासीगण ग्राम झालामण्ड चौराहा के पास, जोधपुर (अपीलांट संख्या 6 से 8 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रमिला बेवा स्व0 पृथ्वीराज)		1– चेतनप्रकाश पुत्र स्व0 सुदेश कुमार 2– सोहनीदेवी बेवा स्व0 सुदेश कुमार 3– चन्द्रा पुत्री स्व0 सुदेश कुमार सभी जाति मेघवाल निवासीगण राजीव गांधी कॉलोनी, के.के.कॉलोनी रोड जोधपुर 4– सज्जन पुत्र तनसुख जाति मेघवाल निवासी झालामण्ड चौराहा के पास, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 5–8–2019 जो अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 26/2019 अनवान लक्ष्मण वगैरा बनाम चेतनप्रकाश वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अमित मेहता अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

pdfelement

निर्णय

दिनांक 16–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुडी भगतासनी पटवारी मण्डल सांगरिया के नामांतरकरण संख्या 1559 जिसे तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 23–5–2018 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध अपीलांटगण ने न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जो अपील बाद मे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर मे स्थानांतरित हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–8–2019 के द्वारा खारीज कर दी जाने पर वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन

Remove Watermark Now

किया कि अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित खसरा नंबर 346 की 20 बीघा भूमि छोटीदेवी पुत्री मदाराम जाति मेगवाल सा0 केरू के खातेदारी की थी । उक्त भूमि की खातेदार छोटीदेवी जिसको अपने खातेदारी की भूमि के संबंध मे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार होने से उसने अपने जीवनकाल मे अपने खातेदारी की भूमि के संबंध मे एक वसीयतनामा अपने पांच पुत्रो (वर्तमान अपीलांटगण 1 से 3 एवं 5 से 9 के पिता पृथ्वीराज तथा रेस्पो0 संख्या 4) एवं एक पुत्री जो वर्तमान अपीलांट संख्या 4 है, के पक्ष मे निष्पादित कर उसका पंजीयन दिनांक 14–7–2010 को कराया तथा उक्त खातेदार छोटीदेवी का देहांत दिनांक 19–1–2018 को हो गया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की खातेदार छोटीदेवी के देहांत होने से अपीलांट मनोज संख्या 2 मनोज ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर अपनी माता छोटीदेवी के देहांत की सूचना दी तथा मृतक छोटीदेवी द्वारा उसके एवं अन्य पुत्र पुत्रियो के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत की फोटो प्रति पेश कर उसके खातेदारी की भूमि का म्युटेशन वसीयत के आधार पर भरने हेतु निवेदन किया तथा पटवारी हल्का ने वसीयत के आधार पर ही म्युटेशन स्वीकृत करने का आश्वासन दिया परंतु पटवारी हल्का ने अपीलाधीन भूमि का म्युटेशन वसीयत के आधार पर स्वीकृत नही कर सभी वारिसान के नाम विरासत का म्युटेशन संख्या 1559 बिना अपीलांटगण (वसीयतग्रहिता) को सूचित किये ही स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 1559 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को यह विवेचन देते हुए खारीज की है कि म्युटेशन के समय म्युटेशन की जानकारी होने के बावजुद भी वसीयतनामा प्रस्तुत नही किया, जो गलत है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि यदि अपीलांटगण (वसीयतग्रहिता) को विरासत का म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व सूचित ही नही किया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय गलत विवेचन के साथ पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे दिये गये इस विवेचन को भी त्रुटिपूर्ण बताया कि म्युटेशन स्वीकृति के समय वसीयतनामा पेश नही करने के कारण वसीयतनामा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया । इस संबंध मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि म्युटेशन स्वीकृति के समय यदि वसीयतनामा प्रस्तुत नही किया जाता तो भी वसीयतनामे का अस्तित्व किसी भी स्थिति मे समाप्त नही माना जा सकता वसीयतनामा प्रभाव मे ही रहेगा । वकील अपीलांट ने कथन किया कि मृतक खातेदार छोटीदेवी ने अपने जीवनकाल मे ही वसीयतनामा निष्पादित कर उसे उप पंजीयक तृतीय जोधपुर के कार्यालय मे दिनांक 14–7–2010 को ही पंजीबद्ध करवा दिया था इसलिए जब तक अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत के दस्तावेज को किसी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा दिया जाता, तब तक वसीयत का दस्तावेज प्रभाव मे ही रहेगा पंरतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय मे विवेचन दिया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि विरासत

pdfelement

Remove Watermark Now

के आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया था तो राजस्व कर्मचारियो का यह दायित्व था कि वे मृतक के सभी वारिसान को नोटिस देकर तथा उनसे पूछताछ करके अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिये था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि खातेदार छोटीदेवी के देहांत दिनांक 19–1–2018 को होते ही उसके द्वारा अपने खातेदारी की भूमि के संबंध मे निष्पादित वसीयत की छायाप्रति जब पटवारी हल्का को दे दी थी तथा वसीयतनामा भी रजिस्टर्ड था तो पटवारी हल्का को रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिये था परंतु विरासत का म्युटेशन बिना वारिसान की जांच एवं सुनवाई के स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होते हुए भी उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–8–2019 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1559 दिनांक 23–5–2018 विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने तथा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर म्युटेशन दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार जोधपुर को पारित करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए न्यायालय का ध्यान अपील मीमो के पैरा 3 की ओर दिलाया जिसमे उल्लेख किया गया है कि '' अपीलांट मनोज पटवारी हल्का से मिला एवं उसे वसीयत की फोटो कॉपी दी'' ऐसा कोई साक्ष्य सबूत रेकर्ड पर नही है इसलिए अपीलांट अधिवक्ता के केवल मौखिक कथन पर विश्वास नही किया जा सकता है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वसीयतनामे का कोई दस्तावेज पटवारी हल्का के पास नही था तथा किसी खातेदार के निंवसीयत फोत होने पर उसके सभी वारिसान के नाम ही विरासत का म्युटेशन स्वीकृत किया जा सकता है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 1559 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि म्युटेशन प्रोसिडिंग फिसकल कार्यवाही है जिसके द्वारा पक्षकारो के हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है । अपीलांट अपने पक्ष मे रजिस्टर्ड वसीयत होना बताते है तो वे वसीयत के आधार पर अपने हक अधिकारो के निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय दावा पेश करे, दावे मे पारित निर्णय से ही पक्षकारो के हक अधिकारो का निर्धारण संभव है । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आर. आर.डी. 2012 पेज 765 एवं आर.आर.डी. 2009 पेज 123 की निर्णय नजीरे पेश की ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन दोनो को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता की बहस के जवाब मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि मेरे

Remove Watermark Now

पक्ष मे तो रजिस्टर्ड वसीयत है जिसे राजस्व न्यायालय नजरअंदाज नही कर सकता । अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खातेदार छोटीदेवी को अपने खातेदारी की भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार होने के कारण ही उसने वसीयतनामा निष्पादित किया था इसलिए मेरे राईट तो रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर सृजित हो चुके थे इसलिए मुझे अधिकारो की घोषणा करवाने की आवश्यकता नही है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1559 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–8–2019 तथा वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1559 के अवलोकन करने पर अपीलाधीन भूमि की खातेदार छोटीदेवी पुत्री मदाराम जाति मेगवाल सा0 केरू का उल्लेख है न कि छोटीदेवी बेवा तनसुख जाति मेगवाल अथार्त उक्त म्युटेशन के कॉलम 7–8 मे की गई प्रविष्टि से यह प्रकट नही होता है कि उक्त खातेदारी की भूमि छोटीदेवी को उसके पति तनसुख से प्राप्त हुई हो । ऐसे मे मृतक खातेदार छोटी देवी के खातेदारी की भूमि का विरासत का नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उसके समस्त विधिक वारिसान को सुनना आवश्यक था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध वसीयतनामे के दस्तावेज का अवलोकन करने पर मृतका खातेदार छोटीदेवी ने अपने जीवनकाल मे ही अपीलाधीन भूमि के संबंध मे एक वसीयतनामा अपने पांच पुत्रो एवं एक पुत्री के नाम निष्पादित कर उसे पंजीबद्ध करवाया दिया था, जिसमे अपने एक पुत्र जो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता व पति था, उसे उक्त खातेदारी से वंचित रखा है, जो वसीयतनामा खातेदार छोटीदेवी की मृत्यु के पश्चात प्रभाव मे आ चुका था ।

अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1559 का अवलोकन करने पर उसकी पुश्त पर जो छोटीदेवी पत्नी तनसुख की वंशावली बनाई गई है, उस वंशावली के नीचे केवल रेस्पो0 संख्या 1 चेतनप्रकाश एवं रेस्पो0 संख्या 2 सोहनीदेवी के हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशान है, (जिन्हे वसीयतनामे मे वंचित रखा गया था) अन्य किसी वारिसान के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान नही है इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 (वसीयतग्रहिता) को सुने बिना ही पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है । यदि मृतक खातेदार छोटीदेवी के अन्य सभी वारिसान को सुनते तो वे अपने पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध वसीयतनामा प्रस्तुत कर देते इसलिए तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया नामांतरकरण पंजीबद्ध वसीयत के अस्तित्व मे रहते विधिसम्मत नही माना जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को गहनता से अध्ययन किये बिना अपीलांटगण की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–8–2019 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1559 दिनांक 23–5–2018 दोनो ही निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे

Remove Watermark Now

मृतक खातेदारी छोटीदेवी द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध वसीयतनामे को यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया हो तो वसीयत अनुसार पुनः म्युटेशन संबंधी कार्यवाही सम्पन्न करें ।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.20 14:26:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: